[2021] 6 एस. सी. आर 232

मातादीन सुराजमल राजोरिया (निर्णय) थ्रू

एकल विधायक ललिता सत्यनारायण खांडेलवाल

वी.

रामद्वार महावीर पांडे (मृत) टीएचआर। एलआरएस। & ओआरएस।

(2021 की सिविल अपील संख्या 5847)

21 सितंबर, 2021

[आर. सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया-अपील-दूसरी अपील-अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए घोषणा, निषेधाज्ञा और कब्जे के लिए दायर किया गया मुकदमा

प्रतिवादियों द्वारा भूमि मुकदमा निचली अदालत द्वारा खारिज-फरमान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई-वादी द्वारा दूसरी अपील -

उच्च न्यायालय के निर्देश पर, मुकदमे की संपत्ति को मापने के लिए एक सर्वेक्षणकर्ता/न्यायालय आयुक्त नियुक्त किया गया था; और सर्वेक्षण अभ्यास के समापन पर, उच्च न्यायालय द्वारा पहली अपीलीय अदालत को आदेश दिया गया था कि वह सिविल मैनुअल के नियम 470 के संदर्भ में निचली अदालत द्वारा दर्ज अतिक्रमण पर निष्कर्षों को प्रमाणित करे-प्रथम अपीलीय अदालत ने निचली अदालत के निष्कर्षों को उलट दिया और कहा कि, न्यायालय आयुक्त द्वारा तैयार किए गए मानचित्र के अनुसार, प्रतिवादी

अतिक्रमण किया था-इस तरह के विकास को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील में निर्णय के लिए कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया-हालाँकि वादी की दूसरी अपील थी बर्खास्त-आयोजितः जबकि नीचे दिए गए न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में नियमित रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, तथ्यों पर, मुकदमेबाजी में दूसरा दौर था और कानून का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न था

दूसरी अपील के निर्णय के लिए उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया गया-हालांकि, विवादित फैसले में कानून के ऐसे प्रश्न पर कोई विशिष्ट निष्कर्ष कभी दर्ज नहीं किया गया था-उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को दरकिनार कर दिया और इसके बजाय निचली अदालतों के निष्कर्षों का इस प्रभाव से समर्थन किया कि प्रतिवादियों ने कोई अतिक्रमण नहीं किया था।

बाद में तैयार की गई विधि की रिपोर्ट, वाद भूमि पर कानूनी लड़ाई के संबंध में-संबंधित पहलू पर निर्णय के बिना, जो विवाद की जड़ तक जाता है, विवादित निर्णय कानून की जांच में विफल हो जाता है-मामले को उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं बनाए गए कानून के सारवान प्रश्न पर विचार करने और निष्कर्ष देने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है।

232 मातादीन सूरजमल राजोरिया (डी) टीएचआर। सोल लेगेटी ललिता सत्यनारायण खंडेलवाल बनाम। रामद्वार महावीर पांडे (डी)

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

28.12.1995 प्रदर्शनी 47 बिक्री विलेख के तहत। इसलिए दूसरी अपील में निष्कर्ष किसी भी स्वतंत्र से रहित था। न्यायालय द्वारा तैयार किए गए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर निष्कर्ष निकालना

स्वयं 2.5.2018 पर। अतिरिक्त मुद्दे पर आवश्यक निष्कर्ष के साथ, दूसरे पक्ष के पक्ष में एक विपरीत निष्कर्ष, दूसरी अपील में पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। यह विशेष रूप से प्रतिवादियों के कब्जे वाले क्षेत्र और उनके दो बिक्री विलेखों में शामिल छोटे क्षेत्र के बीच बेमेल होने के कारण संभव है। कुछ भूमि पर प्रतिवादी के कब्जे के पहलू का, वादी के बिक्री विलेख में उल्लेख किया गया है, नए साक्ष्य को देखते हुए, अदालत के साथ भी विचार किया जाना चाहिए।

न्यायालय द्वारा नियुक्त सर्वेक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत। [पैरा 10] [237-ई-एच]

1.2 . उच्च न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज नहीं करने में गलती की

न्यायालय के लिए बाद में तैयार किए गए कानून का प्रश्न सर्वेक्षक की रिपोर्ट, वाद भूमि पर कानूनी लड़ाई के बारे में। प्रासंगिक पहलू पर निर्णय के बिना जो जाता है

विवाद की जड़, विवादित निर्णय कानून की जांच में विफल रहता है। [पैरा 11] [238-ए-बी]

2. स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने और निष्कर्ष देने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है। मामले के लंबे समय तक लंबित रहने और प्रतिबंधित रिमांड को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय से दूसरी अपील पर शीघ्रता से निर्णय लेने का अनुरोध किया जाता है। [पैरा 12] [238-सी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.5847

2021 से।

21] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बॉम्बे, नागपुर पीठ, नागपुर में उच्च न्यायालय के दिनांक 14.08.2018 के निर्णय और आदेश से

2013 की अपील No.297

एस. निरंजन रेड्डी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , डी. अभिनव राव, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

वी. के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री तरुणा अर्धेन्दुमौली प्रसाद, रोहित पांडे, वरद द्विवेदी, वैभव माहेश्वरी, सुश्री वैशाली सिंह,

प्रभु सिंह, गौरव चौधरी, सुहास कुमार कदम मेसर्स ब्लैक एंड व्हाइट सॉलिसिटर्स, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ऋषिकेश रॉय, जे।

1. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. निरंजन रेड्डी को सुना। प्रतिवादियों (प्रतिवादियों) का प्रतिनिधित्व श्री वी. के. द्वारा किया जाता है।

शुक्ला, विद्वान वरिष्ठ वकील।

2. छुट्टी दे दी गई। अपीलार्थी ने अब (अपनी बेटी द्वारा प्रतिनिधित्व) दो प्रतिवादियों रामद्वार महावीर पांडे और सुदामादेवी द्वारा अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए दीवानी मुकदमा No.332/2003 दायर किया।

पांडे। मुकदमे में वादी का तर्क था कि उसने अमरावती की नगरपालिका सीमा के भीतर सर्वेक्षण से जमीन (1 हेक्टेयर 62 एकड़) खरीदी थी। बिक्री विलेख (प्रदर्शनी 47) को वादी के पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के माध्यम से निष्पादित किया गया था और इसमें यह निर्दिष्ट किया गया था कि खरीदी गई भूमि का एक हिस्सा राधवर पांडे और सुदामादेवी पांडे द्वारा अतिक्रमण किया गया है। वादी के अनुसार, उसने अपनी जमीन को 23.11.2002 पर मापा और पता चला कि प्रतिवादी नं। 1 दक्षिण की ओर से 35 आर की सीमा तक अतिक्रमण किया था जबकि प्रतिवादी नं। 2 (प्रतिवादी संख्या 1) से संबंधित, ने अपनी भूमि के उसी दक्षिणी हिस्से से लगभग 3 आर भूमि का अतिक्रमण किया था। दोनों प्रतिवादियों को वादी और उसके द्वारा अपने अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा गया था

3. लिखित बयान में प्रतिवादी नं. 1 दिनांक 17.04.1969 (एक्स. बी. टी.) के बिक्री विलेख के आधार पर अपने कब्जे वाले क्षेत्र पर अधिकार का दावा किया। 66) विट्ठलराव नानवटकर द्वारा निष्पादित किया गया। इसी तरह, प्रतिवादी नं। 2 शांताबाई जैसवाल द्वारा निष्पादित, दिनांकित 02.11.1977 (Art.A) के बिक्री विलेख के बल पर, अपने कब्जे वाले क्षेत्र पर अधिकार का दावा किया।

द मैटाडिन सुराजमल राजोरिया (डी) टीएचआर। सोल लेगेटी ललिता सत्यनारायण खंडेलवाल बनाम। रामद्वार महावीर पांडे (डी) [ऋषिकेश रॉय, जे।]

प्रतिवादियों ने यह भी तर्क दिया कि मेसर्स एडुल्जी डोटिमल जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री लिमिटेड ने पहले प्रतिवादी नं. 1 कथित हटाने के लिए रामद्वार महावीर पांडे

7798 वर्ग फुट की सीमा तक अतिक्रमण। लेकिन मैसर्स एडुल्जी डोटिमल द्वारा कथित मुकदमा खारिज कर दिया गया और प्रतिवादियों ने निर्बाध रूप से कब्जा जारी रखा। 4. निचली अदालत ने साक्ष्य और दलीलों के आधार पर 1.9.2008 पर मुकदमे को इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया कि वादी विफल हो गया है

अस्वीकार किए जाने पर, वादी ने 2008 की सिविल अपील दायर की, लेकिन विद्वान अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादियों के पक्ष में ट्रायल कोर्ट के आदेश का समर्थन किया। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी वादी के शीर्षक में पूर्ववर्ती की अनुमति से विवादित क्षेत्र में रह रहे हैं और उस पर कब्जा कर रहे हैं और इसलिए उन्हें अतिक्रमणकारियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। 5. उपरोक्त बात वादी द्वारा 2013 की दूसरी अपील No.297 की ओर ले जाती है। उच्च न्यायालय ने उक्त कार्यवाही में आवश्यकता महसूस की

सूट संपत्ति को मापने के लिए एक सर्वेक्षक नियुक्त करें, जैसा कि में वर्णित है

प्रतिस्पर्धा करने वाले वादियों द्वारा निर्भर संबंधित बिक्री विलेख। दिनांक 1 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा किए गए अतिक्रमण के आरोप पर, बिक्री विलेखों (47,66 को प्रदर्शित करता है) के आधार पर माप करने के बाद, ट्रायल कोर्ट के माध्यम से एक निष्कर्ष निकालने का आह्वान किया है, जिसके बाद एक अमोल गिरि को मुकदमा संपत्ति के संयुक्त माप के लिए सर्वेक्षक/अदालत आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। न्यायालय आयुक्त ने दौरा किया

सर्वेक्षण संख्या में 28.11.2016 पर साइट। 25/4 गाँव म्हासाला में और पक्षों की उपस्थिति में माप मानचित्र (प्रदर्शनी 131) तैयार किया। सर्वेक्षणकर्ता से न्यायालय के समक्ष 5.7.2017 पर पूछताछ की गई थी और उसके

प्रतिपरीक्षा में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए:

" ..... यह कहना सही है कि मानचित्र के अनुसार, शेष 38 भूमि सुदामादेवी के कब्जे में है। 1 भूमि का अर्थ है 1076 वर्ग कि. मी.। एफ. टी. 38 क्या कृषि भूमि का अर्थ है 40888 वर्ग कि. मी.। एफटी क्षेत्र। Exh.66 पर बिक्री विलेख के अनुसार, सुदामादेवी पांडे 2000 [2021] 6 एस. सी. आर. की मालिक हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्क्वायर। एफ. टी. मानचित्र में हरे रंग से चिह्नित भूमि सुदामादेवी पांडे के कब्जे में है। एन. एम. एल. के. अक्षरों से सटे नक्शे के उत्तरी हिस्से की ओर गुलाबी रंग की भूमि अगर हरे रंग की भूमि से मापी जाए तो यह 2000 वर्ग किलोमीटर तक आती है। एफ. टी. इसी तरह, यदि उक्त रंग का निचला हिस्सा पश्चिम की ओर हरी रेखा से जुड़ जाता है, तो यह 2000 वर्ग मीटर तक आ जाएगा। एफ. टी. ऐसा प्रतीत होता है, एक्स में मानचित्र में भूमि। 31 में दर्शाई गई भूमि के दक्षिणी भाग की ओर

उत्तर की ओर गुलाबी रंग अतिक्रमण की गई भूमि है। मानचित्र में छह व्यक्तियों को दिखाया गया है। 31 उस समय मौजूद थे

माप "।

6. सर्वेक्षण अभ्यास के समापन के बारे में सूचित किए जाने पर उच्च न्यायालय ने 22.2.2018 पर अपीलीय न्यायालय को प्रमाणित करने का आदेश दिया

सिविल नियमावली के नियम 470 के संदर्भ में विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित अतिक्रमण पर 7.6.2016 निष्कर्ष। दोनों पक्षों को आदेश के लिए अपीलीय अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था

व्यायाम करें। इस तरह के निर्देश का पालन करते हुए, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मामले पर विचार किया और अपने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से, निचली अदालत के निष्कर्षों को उलट दिया और कहा कि न्यायालय आयुक्त द्वारा तैयार किए गए मानचित्र के अनुसार, प्रतिवादियों ने 38 आर (40888 वर्ग फुट) की भूमि का अतिक्रमण किया था। इस तरह के विकास को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने 2.5.2018 पर निम्नलिखित प्रावधान किए:

दूसरी अपील में निर्णय के लिए कानून का महत्वपूर्ण प्रश्नः

" क्या 10.04.2018 दिनांकित आदेश के सामने द्वारा पारित किया गया है

इस न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में अपीलीय न्यायालय सर्वेक्षक की नियुक्ति और वर्तमान मामले में माप करने के लिए, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा दिए गए समवर्ती निष्कर्ष टिकाऊ हैं?

इस अपील में चुनौती दी गई। 8. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. निरंजन रेड्डी प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय उचित रूप से विचार करने में विफल रहा

मापन मानचित्र (131 प्रदर्शित करें) और न्यायालय द्वारा नियुक्त सर्वेक्षणकर्ता का बयान और इस प्रकार एक गलत निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया जो उत्तरदाताओं-प्रतिवादियों द्वारा अतिक्रमण को नजरअंदाज करता है। अपीलार्थी के अनुसार वादी के विक्रय विलेख दिनांक 28.12.1995 (प्रदर्शनी 47) में पाठ का न्यायालय द्वारा गलत अर्थ निकाला गया था। वकील का यह भी कहना है कि अदालत को इस तथ्य पर गौर करना चाहिए था कि प्रतिवादी मतीदीन सुराजमल राजोरिया (डी) टीएचआर।

सोल लेगेटी ललिता सत्यनारायण खंडेलवाल बनाम। रामद्वार महावीर पांडे (डी) [ऋषिकेश रॉय, जे।]

संबंधित बिक्री विलेखों (दिनांक 17.04.1969 और 2.11.1977) के आधार पर दावा प्रतिवादी के कब्जे वाली भूमि के साथ बेमेल है। कब्जा किया गया क्षेत्र 38 आर (40,888 वर्ग फुट) है, जबकि यह प्रतिवादियों द्वारा भरोसा किए गए बिक्री विलेखों में उल्लिखित भूमि की सीमा के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि न्यायालय के सर्वेक्षणकर्ता के इस निष्कर्ष को उचित विश्वास दिया जाना चाहिए था कि प्रतिवादी अतिरिक्त भूमि के अवैध कब्जे में हैं।

9. दूसरी ओर, श्री वी. के. शुक्ला, विद्वान वरिष्ठ वकील, विचारण न्यायालय, अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों के पक्ष में समवर्ती निष्कर्षों का उल्लेख करते हैं और तर्क देते हैं कि

वर्तमान तथ्यों में अपील पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाना है। के लिए

प्रतिवादी, वकील वादी के बिक्री विलेख (प्रदर्शनी 47) को यह इंगित करने के लिए संदर्भित करता है कि बिक्री विलेख में स्वयं वादी द्वारा खरीदी गई भूमि में दो प्रतिवादियों के कब्जे वाले क्षेत्र का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि बिक्री विलेख (प्रदर्शनी 47) के आधार पर वादी का वादी के बिक्री लेनदेन से पहले से प्रतिवादियों के कब्जे वाले क्षेत्रों पर कोई वैध दावा नहीं हो सकता है।

10. प्रतिद्वंद्वी वकील द्वारा दिए गए तर्क पर विचार किया गया है। जबकि नीचे दिए गए न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में नियमित रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, यह देखा गया है कि मुकदमेबाजी में दूसरा दौर था और दूसरी अपील के निर्णय के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कानून का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया गया था। हालाँकि, विवादित निर्णय में कानून के ऐसे प्रश्न पर कोई विशिष्ट निष्कर्ष कभी दर्ज नहीं किया गया था। विद्वान न्यायाधीश ने इस मुद्दे को टाल दिया और इसके बजाय निचली अदालतों के निष्कर्षों का इस प्रभाव से समर्थन किया कि वादी द्वारा जमीन खरीदने के बाद प्रतिवादियों ने कोई अतिक्रमण नहीं किया था।

28.12.1995 प्रदर्शनी 47 बिक्री विलेख के तहत। दूसरी अपील में निष्कर्ष इसलिए किसी भी स्वतंत्र निष्कर्ष से रहित था 2.5.2018 पर स्वयं न्यायालय द्वारा तैयार किए गए कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न। अतिरिक्त मुद्दे पर आवश्यक निष्कर्ष के साथ, दूसरे पक्ष के पक्ष में एक विपरीत निष्कर्ष, दूसरी अपील में पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। यह विशेष रूप से प्रतिवादियों के कब्जे वाले क्षेत्र और उनके दो बिक्री विलेखों में शामिल छोटे क्षेत्र के बीच बेमेल होने के कारण संभव है। कुछ भूमि पर प्रतिवादी के कब्जे के पहलू का, वादी के बिक्री विलेख में उल्लेख किया गया है, अदालत द्वारा नियुक्त किए गए नए साक्ष्य को देखते हुए, अदालत के साथ भी विचार किया जाना चाहिए।

सर्वेक्षक।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. उपरोक्त ने हमें यह ठहराने के लिए राजी किया है कि उच्च न्यायालय ने बाद में तैयार किए गए कानून के प्रश्न पर निष्कर्ष दर्ज नहीं करने में गलती की है,

वाद भूमि पर कानूनी लड़ाई के संबंध में न्यायालय सर्वेक्षक की रिपोर्ट का लेखा-जोखा। प्रासंगिक पहलू पर निर्णय के बिना जो चला जाता है

विवाद की जड़ तक, हमारे मूल्यांकन में विवादित निर्णय, कानून की जांच में विफल रहता है।

12. अग्रगामी को ध्यान में रखते हुए, हमने बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ द्वारा पारित दिनांक 14.8.2018 के फैसले को रद्द कर दिया।

दूसरी अपील सं। 297 / 2013 . महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने और निष्कर्ष देने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया गया है। विद्वान न्यायाधीश द्वारा 2.5.2018 पर बनाया गया कानून। इसे तदनुसार आदेश दिया जाता है। मामले के लंबे समय तक लंबित रहने और प्रतिबंधित रिमांड के संबंध में, उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह इस आदेश की प्राप्ति के छह महीने के भीतर दूसरी अपील पर तेजी से और अधिमानतः निर्णय ले।

13. तदनुसार लागत पर किसी भी आदेश के बिना अपील की अनुमति दी जाती है।

अपील की अनुमति दी गई।

बिभूति भूषण बोस